पत्रांक 1938 /33-वि0नि0/आगणन/2024-25

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ।

दिनांक 25 नवम्बर 2024।

खण्ड विकास अधिकारी,
कनालीछीना।

1. माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024-25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसकी कार्यदायी संस्था आपको नामित किया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि निम्न योजना के आगणन/कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपको योजनाओं की धनराशि अवमुक्त की जा सके। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड के पत्रांक 537/XI /07/61(01)2007 दिनांक 23.07.2007 से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी कि न्यूनतम मूल्य व संतोषजनक विशिष्टताओं की सामग्री ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार क्रय की जायगी। सामग्री क्रय करने से पूर्व सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही कोटेशन/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सामग्री क्रय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि तद्नुसार मा0 विधायक को अवगत कराया जा सके।

3. निर्माण कार्यों में समय-समय पर अवर अभियन्ता तथा सहा0 अभि0 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।

4. आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017-18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों की Geotagging कराई जानी अनिवार्य है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण कराये जाने आवश्यक हैं। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि व्यय होने पर कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

5. अशासकीय विद्यालयों में विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगणन के साथ प्रस्तुत करें।

6. कार्यदायी संस्था यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नहीं है।

7. अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0 /ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती निवास का प्रमाण पत्र भी आगणन के साथ प्रस्तुत किया गया।

8. योजना में विवाद/ कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।

9. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारी की उपस्थिति में लिया गया हैं, आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत भूमि में न किया जाये।

11. आगणन प्रेषित करते समय कार्य सामुदायिक होने की स्थिति में कार्यस्थल की भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति (जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त निर्माण कार्य निजी भूमि पर नहीं किया जा रहा है) भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

13. विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट क्रय में गुणवत्ता/रख-रखाव इत्यादि उरेडा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	मात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0	मा0 विधायक द्वारा संशोधित कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय प्रा0पा0 सिरौली-पटगाडी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
2	ग्राम हलिया-जेठीगाँव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	5.00	विकास खण्ड कनालीछीना
3	राजकीय प्रा0पा0 तितरी जाने वाले मार्ग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.00	विकास खण्ड कनालीछीना
4	ग्राम तितरी में सांस्कृतिक मेला स्थल में महल कालसीन का सौन्दर्यीकरण का कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
5	ग्राम सौगाँव के मुख्य सडक मार्ग से बरना तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
6	ग्राम रैंत-भण्डारीगाँव तक मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
7	ग्राम कमतोली मुख्य मोटर मार्ग से गाँव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
8	ग्राम थमडोली तायल में माँ भगवती मेला स्थल में यात्री सैंट का निर्माण कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
9	ग्राम भण्डारीगाँव सुनी में सडक मार्ग से सुन तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.00	विकास खण्ड कनालीछीना
	ग्राम भण्डारीगाँव तल्ला सुनी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.00	विकास खण्ड कनालीछीना
10	ग्राम मुवानी-मूगरौली तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
11	ग्राम रसगाडी सडक से वडी गाँव तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
12						

13	ग्राम कुटा बसौर में मुख्य सड़क से तूली खाली अ0जा0 तक सम्पर्क मार्ग	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	2.00	विकास खण्ड
14	ग्राम मूवानी में आठों महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड
15	ग्राम मूवानी में सांस्कृतिक महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड
16	देवलथल महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड
17	कनालीछीना शिव महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड
18	अस्कोट महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड
19	देवलथल मेलापानी महोत्सव हेतु	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड
	कुल				33.00	

टिप्पणी:— 1 अवशेष कार्यों की स्थिती में आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यों की उपयोगित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
2 आगणन तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही उपलब्ध करायें।

ह0/—
(डॉ0 दीपक सैनी)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि— मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकरी, कनालीछीना ।
पत्रांक 1007 /वि.नि./प्राकलंन/2024—2025 / दिनांक 26.11.2024
आकाश नौटियाल,
कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रा.नि.वि.)
विकास खण्ड कनालीछीना

उपरोक्तानुसार कार्यो के दो—दो प्रति में आंगणन शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें , ताकि ससमय आंगणन धनराशि अवमुक्त हेतु जिले को प्रेषित किये जा सकें।

खण्ड विकास अधिकारी,
कनालीछीना